



राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर



क्रमांक:—स.3(16)(11)विविध / अभि. / 14-01522 /

दिनांक:—

परिपत्र

अभियोजन सेवा के समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि आपराधिक प्रकरणों के विचारण के दौरान धारा 346, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के प्रावधानों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए किसी भी विचारण में अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे और किसी भी अवस्था में किसी विचारण में लिए जाने वाले स्थगन की संख्या 02(दो) से अधिक नहीं होगी। विरोधी पक्षकार द्वारा किसी विचारण में अनावश्यक आधारों पर स्थगन लेने के प्रयासों का अभियोजन पक्ष की ओर से पुरजोर विरोध किया जाये। विचारण में लिए गए स्थगन के कारण को स्पष्ट करते हुए उस दिन की आदेशिका में अंकित किया जाएगा और माह के दौरान लिए गए स्थगनों की मासिक सुचना **संलग्न प्रारूप** में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सम्बंधित उपनिदेशक अभियोजन के मार्फत निदेशालय भिजवाई जावे। उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन
अभियोजन निदेशालय राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ समस्त अभियोजन/सहायक अभियोजन अधिकारीगण से पालना सुनिश्चित करावें।

निदेशक अभियोजन
अभियोजन निदेशालय राजस्थान
जयपुर

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariat, Jaipur, Pincode: 302005

Phone & Fax: 0141-2227806 Mail ID: Prosecution@Rajasthan.gov.in



स्थगनों की सूचना (धारा 346 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

क्रम संख्या	अभियोजन अधिकारी का नाम एवं न्यायालय	प्रकरण का शीर्षक एवं अंतर्गत धारा	एफआईआर संख्या/वर्ष मय पुलिस थाना	प्रकरण संख्या	स्थगन लेने का कारण	लिए गए स्थगन की संख्या	किस पक्षकार द्वारा स्थगन लिया गया	विशेष टिप्पणी

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariat, Jaipur, Pincode: 302005 Phone & Fax: 0141-2227806 Mail ID:

Prosecution@Rajasthan.gov.in